

हिमाचल प्रदेश तकनीकी शिक्षा बोर्ड धर्मशाला स्थित दाड़ी (कांगड़ा)-176057

NOTE:- IF THE FORM HAS BEEN DOWNLOADED FROM THE WEBSITE OR PHOTOCOPIED AFTER BEING DOWNLOADED FROM THE WEBSITE, KINDLY ADD RS./- 10 AS THE COST OF FORM IN THE PRESCRIBED FEE FAILING WHICH THE FORM IS LIABLE TO BE REJECTED.

(अनुलिपि प्रमाण पत्र प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र)

प्रथम अनुलिपि प्रमाण पत्र प्राप्त करने का शुल्क 300/- रुपये है । दूसरे अनुलिपि प्रमाण पत्र का शुल्क 400/- रुपये है ।

1. प्रार्थी का विवरण लड़का/लड़की (कृपया निशान लगाएं)
- नाम.....
- पिता का नाम.....
- जन्म तिथि शब्दों में/अंकों में.....
- शुल्क अदा किए.....
- बैंक ड्राफ्ट पोस्टल आर्डर.....
- बोर्ड रसीद न0.....दिनांक.....

पासपोर्ट साईज
फोटो की प्रमाणित
प्रति चिपकाएं

2. कृपया लिखिये किस प्रकार का प्रमाण पत्र अपेक्षित है ।

अनुलिपि प्रमाण पत्र की पहली/दूसरी प्रति

अनुलिपि प्रमाण पत्र पुनः लेने का कारण.....

परीक्षा का नाम..... अनुक्रमांक..... पंजीकरण संख्या.....

वर्ष एवं सत्र..... प्राप्तांक.....

समैस्टर/ट्रेड.....परिणाम उत्तीर्ण/अनुत्तीर्ण/सी-अपीयर.....

संस्थान का नाम जहां से परीक्षा दी है.....

(आवेदन-पत्र सम्बन्धित संस्थान के प्राचार्य से सत्यापित होने चाहिए)

3. स्थाई पता.....
-पिन कोड.....

प्रार्थी के हस्ताक्षर

(सत्यापन करने वाले अधिकारी द्वारा स्वयं भरा जाए)

मैं प्रमाणित करता/करती हूँ कि प्रार्थी.....सुपुत्र/सुपुत्री
श्री.....वही व्यक्ति है जिसका कि ऊपर चिपका हुआ फोटो मेरे द्वारा प्रमाणित है और
इसने वास्तव में अनुक्रमांक.....वर्ष.....सत्र.....के अन्तर्गत
.....परीक्षा दी है तथा मेरे समक्ष ऊपर किए हैं, तथा इस प्रार्थना पत्र में लिखे सभी
विवरण सही हैं ।

प्राचार्य

रा0 बहुतकनीकी संस्थान

(हि0प्र0)

(कार्यालय की मोहर सहित)

4. आवेदन पत्र सम्बन्धित संस्थान के माध्यम से बोर्ड कार्यालय को भेजें अन्यथा आपका आवेदन-पत्र रद्द/अवैध समझा जाएगा ।
5. कोई भी व्यक्ति किसी व्यक्ति की ओर से प्रार्थना पत्र नहीं दे सकता या कार्यालय से अपना या किसी अन्य व्यक्ति का प्रमाण पत्र व्यक्तिगत रूप से नहीं ले सकता । प्रमाण पत्र रजिस्टर्ड डाक द्वारा संस्थान को ही प्रेषित किया जाएगा ।
6. यदि फार्म हर प्रकार से ठीक भरा हुआ हो तो प्रमाण-पत्र, प्रार्थना पत्र और शुल्क प्राप्ति के सामान्यतः दो सप्ताह के अन्दर जारी कर दिया जाएगा ।
7. अनुलिपि प्रमाण पत्र की पहली प्रति जारी करने के लिए परीक्षार्थी को निर्धारित आवेदन पत्र सम्बन्धित प्राचार्य द्वारा प्रमाणित करवाने के अतिरिक्त प्रथम श्रेणी के दण्डाधिकारी से सत्यापित शपथ पत्र भी देना होगा । जिसमें उन सभी तथ्यों का हवाला दिया होगा । जिनके कारण उसे प्रतिलिपि प्रमाण पत्र की पहली प्रति गुम होने/चोरी होने/जल जाने या अन्य कारण से नष्ट हो जाने के कारण का उल्लेख किया जाएगा ।
8. अनुलिपि प्रमाण पत्र की दूसरी प्रति लेने के लिए जो औपचारिकताएं पहली प्रति के लिए आवश्यक हैं वह सब पूरी करनी होंगी ।
9. इसके बाद किसी भी अवस्था में प्रमाण पत्र की कोई भी प्रति जारी नहीं की जाएगी ।
10. एक मास के अन्दर प्रमाण पत्र प्राप्त न होने पर प्रार्थी को सचिव, हिमाचल प्रदेश तकनीकी शिक्षा बोर्ड धर्मशाला स्थित दाडी-176057 को लिखना चाहिए । और अपने पत्र में अपना नाम, अनुक्रमांक और परीक्षा का वर्ष, और बोर्ड के शुल्क की रसीद की संख्या दर्ज करनी चाहिए ताकि शीघ्र कार्यवाही की जा सके ।
11. कार्यालय द्वारा एक बार सूचित त्रुटि/त्रुटियों का समाधान करवाने का उत्तरदायित्व प्रार्थी का होगा । कार्यालय द्वारा इस सम्बन्ध में पत्र व्यवहार नहीं किया जाएगा ।